न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—24/2019/223 (2019/00024)

1. योगेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र स्व0 हरिसिंह गहलोत, जाति रावणा राजपूत, (दरोगा), निवासी मसूदा, हाल निवासी सी—9, अरावली विहार वैशाली नगर, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 मगनसिंह गहलोत, जाति रावणा राजपूत, (दरोगा), निवासी कुण्ड की खिडकी, मसूदा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
2. हेमेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 चन्दनसिंह, निवासी मसूदा हाल निवासी प्लॉट संख्या 44, शुभम कॉलोनी सिकरेट हार्ट स्कूल के पीछे कायड़, अजमेर ।
3. श्रीमती पुष्पा चौहान पुत्री स्व0 चन्दनसिंह पत्नि नवलसिंह चौहान, ठिकाणा प्रसन्नसिंह चौहान, ए—59—ए विवेकानन्द कॉलोनी नजदीक टी0 पी0एस0 अम्बाबाड़ी, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर ।
4. श्रीमती सुनीता सोंलकी पुत्री स्व0 चन्दनसिंह पत्नि हिम्मतसिंह सोंलकी, निवासी गोकुल विपेज 66/67, सुनीता सदन, उदयपुर ।
5. श्रीमती मंजू चौहान पुत्री स्व0 चन्दनसिंह पत्नि धमेन्द्रसिंह चौहोन, निवासी गंगा सदन रेल्वे स्टेशन के पीछे, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा ।
6. श्रीमती रेणु पंवार पुत्री स्व0 चन्दनपसिंह पत्नि प्रतापसिंह पंवार, निवासी हाउस नंबर 352, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड़, जयपुर ।
7. देवेन्द्रसिंह पुत्र प्रभूसिंह, जाति रावणा राजपूत (दरोगा), निवासी मसूदा हाल निवासी ए—11 फ्रेण्डस कॉलोनी वैशाली नगर, अजमेर तहसील व जिला अजमेर ।
8. श्रीमती चन्द्रकांता बेवा प्रभूसिंह, जाति रावणा राजपूत (दरोगा), निवासी मसूदा हाल निवासी ए—11 फ्रेण्डस कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर ।
9. श्रीमती सुशीला पुत्री वीरसिंह पुत्र मगनसिंह, जाति रावणा राजपूत (दरोगा), निवासी मसूदा हाल निवासी मार्फत लक्ष्मणसिंह चौहान, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के पास, मित्र नगर, रातीडांग, अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।
11. उप पंजीयक, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 20.7.2018 अंतर्गत वाद संख्या 70/2011.

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुमित जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री हनुमान प्रसाद, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 6.
4. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 7 व 8.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 26.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.7.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मसूदा तहसील मसूदा में स्थित साबिक खसरा नंबर 1076 हाल खसरा नंबर 3587 रकबा 7 बिस्वा, साबिक खसरा नंबर 1077 हाल खसरा नंबर 3587 रकबा 2—14—00, साबिक खसरा नंबर 1078 हाल खसरा नंबर 3587 रकबा 6 बिस्वा, साबिक खसरा नंबर 1079 हाल खसरा नंबर 3588 रकबा 6—11—00 स्थित है, उक्त भूमियों को कुंआ लंका भूमि के नाम से जाना जाता है, बाद में इनके हाल खसरा नंबर 3587/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नंबर 3588/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वासी कायम हुए है। इसी प्रकार हाल खसरा नंबर 4387 रकबा 2—08—10, खसरा नंबर 4388 रकबा 3—4—00, खसरा नंबर 4400 रकबा 6—12—00 उक्त भूमियों को गोपाल सागर के पीछोर वाली जमीन के नाम से जाना जाता है । वादी ने वादपत्र में सजरा अंकित कर कथन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 (क) में वर्णित भूमियां स्व0 मगनसिंह के कब्जे काश्त एवं खुदकाश्त की भूमियां पूर्व इस्तमरारदार मसूदा के समय से चली आ रही थी । स्व0 मगनसिंह की मृत्यु मसूदा इस्तमरारदारी इलाके में सेटलमेंट 1359 फसली सन् 1951 में हुआ था । उसके पूर्व मगनसिंह का देहांत हो जाने के कारण से बरवक्त सेटलमेंट वादी महेन्द्रसिंह नाबालिग था, उस वक्त मगनसिंह के पुत्रगण स्व0 हरिसिंह, चन्दनसिंह, प्रभूसिंह ने मिलीभगती करके अपने तीनों का नाम 1359 फसली में लिखा दिया था और वादी महेन्द्रसिंह व स्व0 वीरसिंह का नाम नहीं लिखाया किन्तु उक्त भूमियां पुश्तैनी दर्ज किया है इस कारण से उक्त भूमियां स्व0 मगनसिंह के उपरोक्त पांचों पुत्रगण की संयुक्त पैत्रिक अविभाजित भूमियां है जिन पर कब्जा मगनसिंह के समय से ही संयुक्त रूप से चला आ रहा है । किन्तु तत्कालीन सेटलमेंट 1359 फसली की मिसल बंदोबस्त में केवल हरीसिंह, चन्दनसिंह व प्रभूसिंह का अकेलों का नाम ही गलत दर्ज कर दिया जबकि उनके साथ मगनसिंह के अन्य पुत्रों वीरसिंह व महेन्द्रसिंह का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिये था । इसलिये वादपत्र की चरण संख्या 1 (क) में वर्णित भूमियों में वादी अपना तथा स्व0 वीरसिंह की पुत्री का नाम व प्रभूसिंह के वारिसान का नाम जुड़ाने व रिकार्ड दुरूस्ती कराने के अधिकारी है । इसी प्रकार वादपत्र की चरण संख्या 1 (क) में वर्णित भूमियों के वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 चन्दनसिंह स्व0 हरीसिंह व प्रभूसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पिता स्व0 वीरसिंह खातेदार काश्तकार दर्ज थे किन्तु उनमें से वीरसिंह गुजर चुके है, लेकिन जमाबंदी में वीरसिंह के स्थान पर उसकी पुत्री सुशीला का नाम तो दर्ज हो गया है किन्तु उसको पुत्री के स्थान पर बेवा दर्ज कर दिया है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है । जबकि हरीसिंह व प्रभूसिंह गुजर चुके है इसलिये हरीसिंह के स्थान पर उसके दत्तक पुत्र योगेन्द्रसिंह व उसकी बेवा चन्द्रकांता का नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । इस प्रकार से वाद पत्र की चरण संख्या 1 (ख) में वर्णित भूमियों में वादी 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 चन्दनसिंह 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 योगेन्द्रसिंह 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः देवीसिंह व श्रीमती चन्द्रकांता 1/5 हिस्से की तथा प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती सुशीला पुत्री वीरसिंह 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार है । वादपत्र की चरण संख्या 1 (क) व (ख) की भूमियों का

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कोई विभाजन नहीं हुआ है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हरीसिंह व चन्दनसिंह का नाम वादपत्र की चरण संख्या 1 (क) में वर्णित भूमियों को गलत इद्रांज होने के कारण से अंकेले खुर्दबुर्द करने पर आमादा है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री पारित की जाकर वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में वादी को 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 5 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और तद्नुसार जो गलत इंद्राज हो रखे है उनको निरस्त किया जाकर उनके स्थान पर उपरोक्त वर्णित हिस्से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम जमाबंदी में दर्ज किये जावे तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.7.2018 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद आंशिक रूप से डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादी की जिरह हेतु नियत था इसके बावजूद वादी ने उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्श करवाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा उक्त काउन्टर क्लेम का रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया था । ऐसी स्थिति में अपीलांट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधिअनुसार निस्तारण करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो आदेश 20 नियम 5 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट की स्वअर्जित आराजी साबिक खसरा नंबर 1076, 1077, 1078 व 1079 राज दरबार मसूदा ने स्व0 हरीसिंह व चन्दनसिंह पुत्रान मगनलाल को मुबलिग 750/–रू0 में पट्टा दिया था ऐसी स्थिति में उक्त आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 तथा मदनलाल के अन्य विधिक वारिसान का कोई संबंध नहीं था न ही रेस्पो0 संख्या 1 का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है । कब्जे के अभाव में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजियात हरीसिंह, चन्दनसिंह व प्रभूसिंह पि0 मगनलाल सन् 1359 फसली से काबिज काश्त व खातेदार है जो कि राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट होता है कि वीरसिह पुत्र स्व0 मगनलाल पुत्र खेतसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 23.11.1952 को अपनी अंतिम वसीयत में कोई भी हिस्सा नहीं दिया इस कारण स्व0 वीरसिंह का वादग्रस्त आराजी में स्व0 मगनलाल के जीवनकाल में कभी भी कब्जा नही रहा एवं न ही मगनलाल के देहांत के बाद रहा है । प्रतिवादी अपीलांट व प्रतिवादी स्व0 चन्दनसिंह प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है एवं अपीलांट काबिज काश्त है तथा आराजियात के साबिक खसरा नंबर 1076, 1077, 1078 व 1079 राज दरबार मसूदा ने स्व0 हरीसिंह व चन्दनसिंह पुत्रान मगनलाल को मुबलिग 750/–रू0 में पट्टा दिया था उसमें अपीलांट के पिता हरीसिंह को ख्वातेदारी दर्ज कर दी गई जिसमें प्रभूसिंह पुत्र मगनलाल के नाम गलत व गैर कानूनी तरीके से दर्ज कर दिया गया जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विवादित आराजी में वीरसिंह का किसी भी प्रकार से कोई हक व हिस्सा नहीं है फिर भी अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअदांज कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि अपीलांट की मिल्कियत है जो मसूदा राज दरबार द्वारा अपीलांट के पिता हरीसिंह को नजराने में पट्टा दिया गया था तब से अपीलांट के पिता खातेदार काश्तकार हो गये उसके बाद राजस्थान सरकार अधिनियम लागू हुआ और उससे पूर्व ही अपीलांट के पिता हरीसिह खातेदार हो गये लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने प्रभूसिह का नाम गलत व गैर कानूनी तरीके से इंद्राज कर दिया जो कि काउन्टर क्लेम के माध्यम से निरस्त योग्य था । विवादित आराजियात अपीलांट के पिता स्व0 हरीसिंह की स्वअर्जित भूमियां है जिसमें वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा वाद आंशिक रूप से डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 20.7.2018 को एकतरफा में पारित की गई है तथा निर्णय से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया । निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 9.1.2019 को मसूदा जाकर वादग्रस्त आराजियात की खतौनी जमाबंदी संख्या 876 व 877 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई । तत्पश्चात् प्रार्थी ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.1.2019 को आवेदन पेश किया जिस पर नकल दिनांक 17.1.2019 को प्राप्त होने पर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादपत्र की चरण संख्या 1–क में वर्णित आराजियात स्व0 मगनसिंह के कब्जे काश्त व खुदकाश्त की आराजियात एवं इस्तमरारदार मसूदा के समय से चली आ रही थी । स्व0 मगनसिंह की मृत्यु इस्तमरारदारी इलाके में सेटलमेंट 1359 फसली सन् 1951 में हुआ था । उसके पूर्व मगनसिंह का देहांत हो जाने के कारण बरवक्त सेटलमेंट वादी/रेस्पो0 संख्या 1 महेन्द्रसिंह नाबालिग था। मगनसिंह के पुत्रगण स्व0 हरीसिंह, चन्दनसिंह व प्रभूसिंह ने मिलीभगती करके अपने तीनों के नाम 1359 फसली में दर्ज करा लिये तथा वादी महेन्द्रसिंह व स्व0 वीरसिंह का नाम नही लिखवाया जबकि विवादित आराजियात पुश्तैनी दर्ज किया है इस कारण से उक्त भूमियां स्व0 मगनसिंह के उपरोक्त पांचों पुत्रों की संयुक्त पैतृक अविभाजित भूमियां है जिन पर कब्जा मगनसिंह के समय से ही संयुक्त रूप से चला आ रहा है किन्तु सेटलमेंट 1359 फसली की मिसल बंदोबस्त में केवल हरिसिंह, चन्दनसिंह व प्रभूसिंह के अकेलों के नाम ही दर्ज किये गये जबकि उनके साथ मगनसिंह के अन्य पुत्रगण वीरसिंह व महेन्द्रसिंह के नाम भी दर्ज किये जाने चाहिये थे । जमाबंदियों में हरिसिंह, चन्दनसिंह व प्रभूसिंह के नाम दर्ज किये जाने से मगनसिंह के अन्य पुत्रों के हक व अधिकार समाप्त नहीं होते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 6 श्री हनुमान प्रसाद ने अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपील में विधि अनुसार निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 7 व 8 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णित करना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

10. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु अनुतोष सहित कुल 5 तनकियात कायम की है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 इस प्रकार कायम की है:– " आया वादी विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के साथ्र सहखातेदार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है, साथ ही यह घोषणा करवाने के अधिकारी है कि विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 का 1/5, 1/5 हिस्सा है ओर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/5 हिस्सा है ?

11. तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादी/रेस्पो0 संख्या 1 पर था जिसने वादी की पुष्टि हेतु दस्तावेजी साक्ष्यों में मौजा मसूदा की खतौनी जमाबंदी फसली 1365 के खाता खतौनी संख्या 462 की प्रति पेश की जिसके अनुसार साबिक खसरा नंबर 1076, 1077, 1078 व 1079 कुल किता 4 कुल रकबा 9–18–10 हरीसिंह व चन्दनसिंह व प्रभूसिंह पि0 मगनलाल कौम गहलोत साकिन देह दर्ज है । ग्राम मसूदा की जमाबंदी संवत् 2016–2019 के खाता संख्या 422 में अंकित साबिक खसरा नंबर 1076, 1077, 1078 व 1079 कुल किता 4 कुल रकबा 9–18–10 हरीसिंह व चन्दनसिंह व प्रभूसिंह पि0 मगनलाल कौम गहलोत साकिन देह दर्ज है । इसी प्रकार आगामी रोटेशन जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 के खाता संख्या 535, 2024–27 के खाता संख्या 548 में भी दर्ज होना पाया गया । इसी प्रकार ग्राम मसूदा की वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 362 में अंकित हाल खसरा नंबर 4387, 4388, 4400 में मु0 सुशीला देवी बेवा वीरसिंह, हरीसिंह, चन्दनसिंह, प्रभूसिंह, महेन्द्रसिंह पि0 मगनलाल कौम दरोगा सो0देह खातेदार दर्ज होना पाया जाता है। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित सजरा से स्पष्ट है कि मूल पुरूष मगनसिंह के पांच पुत्र हरीसिंह, चन्दनसिंह, प्रभूसिंह, महेन्द्रसिंह एवं वीरसिंह है जिनमें से प्रभूसिंह व वीरसिंह की मृत्यु हो चुकी है । वादग्रस्त साबिक आराजी खसरा संख्या 1076, 1077, 1078 व 1079 जमाबंदी राजस्व रिकार्ड के अनुसार मगनलाल के पुत्रगण हरीसिंह, चन्दनसिंह व प्रभूसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज रही है एवं तत्समय वादी/रेस्पो0 संख्या 1 महेन्द्रसिंह पुत्र मगनलाल नाबाबलिग था जिससे उसका नाम वादग्रस्त आराजियात खसरा नबर 1076, 1077, 1078 व 1079 में दर्ज नहीं किया गया है । इस कारण मगनलाल का पुत्र वादी महेन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती सुशीला पुत्री वीरसिंह का भी विवादित आराजियात में 1/5, 1/5 हिस्सा निहित होना प्रमाणित होता है। अपीलांट/प्रतिवादी का यह कथन कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 1076, 1077, 1078 व 1079 का अपीलांट के पिता हरीसिंह को मसूदा राज दरबार द्वारा नजराने में पट्टा दिया गया था तब से अपीलांट के पिता खातेदार काश्तकार हो

गये तत्पश्चात् राजस्थान सरकार अधिनियम लागू हुआ उससे पूर्व ही अपीलांट के पिता हरीसिंह खातेदार हो गये लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने प्रभूसिंह का नाम गलत व गैर कानूनी तरीके से दर्ज कर दिया जो काउन्टर क्लेम के माध्यम से निरस्तनीय है । इस संबंध में प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष संवत् 2006 की राज मसूदा की रसीद राशि 750/–रू0 की प्रति पेश की है जिस पर किसी प्रकार की कोई मोहर अंकित नहीं है । इसलिये अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कथन मान्य नहीं है । जहां तक खसरा संख्या 3586, 3587/2, 3588/1 की भूमियों बाबत् वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा खातेदारी उद्घोषणा प्राप्त किये जाने का प्रश्न है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 3586, 3587/2, 3588/1 की भूमियां साबिक खसरा संख्या 1075 व 1080 से बनी है जो कि पूर्व में सरकारी भूमियां थी जो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिता हरीसिंह, चन्दनसिंह व प्रभूसिंह पि0 मगनलाल को गैर खातेदारी से प्राप्त हुई तथा बाद में खातेदारी में दर्ज हुई है जिससे उपरोक्त आराजियात प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिता हरीसिंह, चन्दनसिंह व प्रभूसिंह पि0 मगनलाल की स्वअर्जित होने से इन आराजियात बाबत् वादी/रेस्पो0 संख्या 1 किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश प्रतीत नहीं होती है ।

12. तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निर्णित होने से तनकी संख्या 2 व 3 भी अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः तनकी संख्या 2 व 3 का निर्णय यथावत् रखा जाता है ।

13. जहां तक तनकी संख्या 4 का प्रश्न है । प्रतिवादी ने काउन्टर क्लेम के माध्यम से विवादित आराजियात में वीरसिंह का कोई हक व हिस्सा नहीं होना बताया है तथा 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने का कथन किया है किन्तु इस संबंध में प्रतिवादीगण ने कोई पंजीकृत अथवा नोटेरी से तस्दीकशुदा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे यह सिद्ध हो कि वीरसिंह ने अपनी भूमियां प्रतिवादीगण को बेचान अथवा बख्शीश की हो। जहां तक बख्शीशनामे का प्रश्न है तथाकथित बख्शीशनामे में खसरा नंबरान स्पष्ट नहीं किये है । इसी कारण अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः तनकी संख्या 4 का निर्णय यथावत् रखा जाता है ।

14. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट निरस्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

15. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.7.2018 यथावत् रखी जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी) 26/11/2020
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

नोट:- दिनांक 01/12/2020 हाजा न्यायालय के आदेश से निर्णय दिनांक 26/11/2020 के पैरा संख्या 13 पर अंकित बख्शीशनामा के स्थान पर वसीयतनामा पढ़ा जावें। उक्तानुसार संशोधन किया जाता है।